



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-सीधी

निगा-2350-11-16

जानकी सिंह पत्नी छोटेलाल सिंह सेंगर
निवासी-ग्राम जमुनिया खुर्द तहसील
गोपदबनास जिला - सीधी (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरुद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला सीधी
(म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण
क्रमांक 66/अ-6/अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 3- यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम जमुनिया खुर्द तहसील गोपदबनास जिला सीधी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 6 पुराना रकवा 0.15 अर्थात् 0.061 है0 म.प्र. शासन के स्वामित्व की भूमि है जिसके अंश रकवा 0.030 है0 पर आवेदिका का विगत 30 साल पूर्व से कब्जा दखल है। जिसमें आवेदिका द्वारा सुधार कर मेड़ मिट्टी डालकर उपजाऊ बनाया है एवं उसपर खेती कास्तकारी करके अपने परिवार की अजीविका चलाती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि पर उसका वास्तविक कब्जा दर्ज किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारिता नहीं होने का कथन कर आवेदन पत्र निरस्त किया है, जोकि विधिवत् नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 4- यहकि, संहिता की धारा 121 नियम 6,7,8 में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पटवारी द्वारा खेत का नक्शा तैयार करते समय वास्तविक कब्जा दर्ज किया जायेगा। किन्तु इस प्रकरण में ग्राम पटवारी द्वारा आवेदिका का वास्तविक कब्जा

Delatand
18/7/16

18/7/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2350-दो/16

जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण क्र. 66/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	

129